न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 58/2026

मोहसीन राशीद खान निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 23.12.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—
1. सोभाग देवी के नाम से, महादेवाली रोड पर पुराने कांजी हाउस पर आवंटित सरस पार्लर के आवेदन के लिए दी गई सम्पूर्ण फाइल एवं दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2. टोंक नगर परिषद द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में निम्न लिखित के पट्टा पत्र (विलेख पत्र) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कटाएं 1. अंबेडकर महाविधालय टोंक 2. टैगोर महाविधालय टोंक 3. विवेक महाविधालय टोंक 4. सेंट सोल्जर महाविधालय —टोंक 5. शिवाजी महाविधालय टोंक 6. आयुष संस्थान टोंक 7. पन्नाधाय कॉलेज टोंक 8. माँ भारती महाविद्यालय — टोंक 9. न्यू सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहीर टोंक 10. अभिज्ञान महाविधालय टोंक 11. महाराणा प्रताप इवनिंग कॉलेज — टोंक 12. राधिका कंप्यूटर शिक्षा संस्थान टोंक 13. लालिमा महाविधालय टोंक 14. मानव धर्म विकलांग सेवा टोंक 15. शहीद भगत सिंह महाविधालय टोंक 16. देव कॉलेज टोंक 17. एपेक्स देव सेवा संथान छान 18. नोवल शिक्षा संस्थान — टोंक 19. सेंट जोज़फ कॉलेज टोंक 20. चाणक्य महाविधालय टोंक 21. मदरलैंड केरिअर कॉलेज टोंक 22. संस्कृति महाविधालय टोंक 23. नेहरू कॉलेज टोंक 24. सेवानंद महाविधालव टोंक 25. मॉडर्न महाविद्यालय — टोंक 26. अग्रसेन कन्या महाविधालय टोंक 27 वर्धमान महाविधालय टोंक 28. आलोक महाविद्यालय — टोंक।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 995 दिनांक 12.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 20.05.2026 को उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 166 दिनांक 20.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव आयुक्त नगर परिषद टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 1244 दिनांक 24.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1245 दिनांक 24.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु

जिला कलेक्टर
टोंक

स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

851